

प्रपत्र-14

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग की कैदमाथ विधानसभा अन्तर्गत-चोपता (बिलासपुर)  
में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 गांवी अर्थात् 2 हे० 0 सिल्ल  
भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।  
कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

ह0/-  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
प्रधानाधिकारी  
राजकीय पालीटेक्निक चोपता  
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

ह0/-  
उप प्रभागीय वन अधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

ह0/-  
उप वन संरक्षक  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
प्रभागीय वन अधिकारी

नोट :-उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।